The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 2 | February 2024
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

नयी शिक्षा नीति 2020: दिव्यांग बच्चों के शिक्षा योजना और कार्यक्रम

ज्योत्सना

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालोजी, गोलापार, हल्द्वानी, उत्तराखंड

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

शिक्षा, नयी शिक्षा नीति, दिव्यांग, समावेशी शिक्षा

ABSTRACT

शिक्षा एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और एक प्रेरक उपकरण भी जो युवाओं के भविष्य को बदल सकता है। नई शिक्षा नीति-2020 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें देश की शैक्षिक प्रणाली और दिव्यांग बच्चों के लिए आकर्षक योजनाएं शामिल हैं। यह नीति दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करेगी और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाएगी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीनतम ड्राफ्ट में सुशासन, नवाचार और अनुसंधान पर जोर दिया गया है, साथ ही स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कई बदलाव भी शामिल हैं। यह सुशासन और नवाचार पर अधिक ध्यान देता है। 2020 से 2040 तक भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एनईपी-2020 का मुख्य उद्देश्य है। एनईपी-2020 ने शिक्षा के पांच स्तंभों (पहुंच, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेही और सामर्थ्य) पर ध्यान केंद्रित किया। NEP-2020 का उद्देश्य (क) विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान बनाना। (ख) विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना। (ग) असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर प्रदान करना हैं। एनईपी-2020 सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हकदार विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व को पहचानती है। इसलिए, एनईपी 2020 नामक दस्तावेज़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर बहुत जोर दिया गया है। यह नया नियम दो बातों पर केंद्रित है, एक

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ज्ञान प्रदान करना और यह जानना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाये। दिव्यांग बच्चों की सबसे आम बाधा प्री-स्कूल और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच है। केवल लगभग 17% स्कूलों में सुलभ शौचालय हैं, और 40% से भी कम स्कूलों में रैंप हैं। एनईपी 2020 ने कहा कि विकलांग बच्चे शैक्षिक प्रणाली में समान रूप से हिस्सा ले सकेंगे। अत: यह लेख दिव्यांगजनों के लिए 2020 की नई शिक्षा नीति में शामिल दिव्यांग अधिनियम को प्रदर्शित करता है साथ ही उनकी शिक्षा कैसे गैर-बाधा होनी चाहिए पर भी ध्यान देता है।

प्रस्तावना:- देश का भविष्य उसके युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने पर निर्भर होता है। पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय विकास और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है। शिक्षा वह सही माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई होगी। भारत अगले दशक में दुनिया में सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा, इसलिए भारत द्वारा 2015 में अपनाया गया “सतत् विकास एजेंडा 2030” के लक्ष्य में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार, विश्व में 2030 तक सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया जो किसी भी समाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बंध रखने वाले बच्चों को समान रुप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराए। 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, 21वीं सदी का पहला अभियान है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमताओं पर बल देती है। इस सिद्धांत का आधार साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी "बुनयादी क्षमताओं" के साथ-साथ "उच्चतर स्तर" और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का होना है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे

इंसानों का विकास करना है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो की अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी, और बहुतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। एक अच्छी शिक्षण संस्था में सभी छात्रों को सीखने के लिए समान अवसर मिलते हैं, हर छात्र को सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मिलता है और अच्छे शिक्षण ढांचे और संसाधन मिलते हैं। इन्हीं विभिन्न लक्ष्यो के बीच यह नीति विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करनें के समान अवसर प्रदान करने के लिये सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को बताती है।

ईसीसीई (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा) में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस अभियान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सक्षम बनाया जाएगा। सामावेशी शिक्षा को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम ने एक ऐसी व्यवस्था के रुप में परिभाषित किया है जिसमें सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे मिलकर सीखते हैं। शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह सभी बच्चों की (सामान्य या दिव्यांग) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। यह नीति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016) के सभी प्रावधानों से पूरी तरह से मेल खाती है और स्कूल शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तों को पूरा करती है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतवासी को दिए गए हैं, दिव्यांगजन भी इसमें शामिल हैं। 1992 का भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, दिव्यांगो को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का पहला भारतीय कानून था। 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (1992-2010) बनाई गई, जिसमें पहली बार समावेशी और एकीकृत शिक्षा पर विचार किया गया। भारत में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) पर इसके प्रभाव पर गंभीर बहस की गई। यह शिक्षा नीति अच्छी तरह से दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षिक अधिकारों के साथ जुड़ी हुई थी

और इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए जो पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में नहीं थे। एनईपी का अध्याय (VI) न्यायसंगत और "समावेशी" शिक्षा पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से समावेशी स्कूलों की जरूरतों पर जोर देता है, जहां दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और उनकी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। एनईपी ने दिव्यांगता-अनुकूलन बुनियादी ढांचे और शैक्षिक संसाधन को देश भर में सभी स्कूलों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। पहली बार एनईपी के ड्राफ्ट में दिव्यांग्जनो के लिये नई शब्दावली का प्रयोग किया गया। ड्राफ्ट के उप अध्याय में "विशेष शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" जैसे शब्द का उपयोग किया गया है। एनईपी-2020 के नये दस्तावेज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

दिव्यांगजन पहचान -: यह नीति असाधारण आवश्यकताओं वाले बच्चों को स्वीकार करती है और उन्हें नियमित शिक्षा प्रणालियों में शामिल करने की वकालत करती है। सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए आंगनवाड़ी नियम बनाए हैं। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को खोजकर शिक्षण से जोड़ेगी। सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल “आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन” शुरू किया जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिव्यांग बच्चों का पता लगाना और उनकी मदद करना है। यह एक समुदायिक मूक क्रांति है, जिसका संबन्ध लोगों में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता लाना है। जन्म से छह साल तक के आठ करोड़ से अधिक बच्चों को आंगनवाड़ी कर्मी हर दिन मिलते हैं अत: आंगनवाड़ी कर्मियों को दिव्यांग बच्चों का जमीनी स्तर का डेटा मिलेगा और पोषण ट्रैकर बच्चों पर नज़र रखेंगे।

दिव्यांगजन प्राधिकरण-: इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 1869 में ईसाई मिशनरियों ने सर्वप्रथम दिव्यांगो हेतु औपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया था। भारत में अभी भी यह शिक्षा गैर सरकारी संस्थानों या धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बहुत कम हैं, या फिर नहीं है। परिणाम स्वरुप गरीब दिव्यांग बच्चे शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते। नई शिक्षा नीति

2020 में विशिष्ट आवश्यक्ता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल किये गये।

(अ) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालय में समावेशन :-

एनईपी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव दूर किया जाए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित स्कूल में शामिल किया जाए। एनईपी 2020 में किए गए कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं

- ग्रेड-12 तक स्कूली शिक्षा मूलभूत होनी चाहिए।
- उन्हें घर के पास के स्कूल में मुख्य प्राथमिकता।
- इस नीति का उद्देश्य छात्रों का नामांकन बढ़ाना है।
- भारत के सभी छात्रों को शैक्षिक लाभ।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना।

(ब) दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता-:

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नानुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगजनों के एकीकरण के लिए स्कूल या स्कूल परिसरों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और कुशल नियम बनाना।
- गंभीर या एकाधिक दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों के लिए गांवब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र / स्थापित करना।
- ये केंद्र अंशकालिक या पूर्णकालिक होम स्कूलिंग में माताअभिभावकों की सहायता करते हैं।/पिता-
- शिक्षार्थियों का कौशल विकसित करना आईएसएल या अन्य स्थानीय सांकेतिक भाषाओं और) (एनआईओएस के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों तक पहुंच

- ❖ स्कूल परिसरों में संसाधनों की पर्याप्तता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना।
- ❖ एनईपी-2020 शैक्षिक निवेश को बढ़ावा देगी क्यूँकि समाज के भविष्य के लिए इससे बेहतर कोई निवेश नहीं है।

(स) दिव्यांगो के स्कूल तक पहुँच हेतु प्रावधान -:

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधा मुक्त बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आसानी से सुविधा मिल सके।

- ❖ स्कूल को बांधा मुक्त संरचना प्रदान करना।
- ❖ रैंप और रेलिंग का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ❖ स्कूल को शिक्षार्थियों के लिए विकलांग अनुकूल शौचालयों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- ❖ दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त परिवर्तन प्रदान किया जाना चाहिए।
- ❖ संबंधित एजेंसी द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया जाना चाहिए।
- ❖ दिव्यांगजनों के लिए स्कूलों का भवन दिव्यांग अनुकूल होना चाहिए।

(द) दिव्यांगजन और समावेश -:

ज़रूरतमंदों को निम्नलिखित कई तरीकों से उनकी कठिनाइयों को सुविधाजनक बनाने और कम करने के लिए पर्याप्त सहायक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

- ❖ सहायक उपकरण और उचित प्रौद्योगिकीआधारित उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।-
- ❖ पर्याप्त एवं भाषा अधिगम सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए-उपयुक्त शिक्षण-(बड़े प्रिंट और ब्रेल जैसे सुलभ प्रारूपों में पाठ्यपुस्तकें(

- ❖ दिव्यांगजनों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत होने और शिक्षकों और उसके सहपाठियों के साथ जुड़ने में मदद करना।
- ❖ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- ❖ कार्यात्मक एवं औपचारिक मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
- ❖ उचित शैक्षिक प्लेसमेंट प्रदान करना चाहिए।
- ❖ व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
- ❖ आईईपीके मूल्यांकन और तैया (व्यक्तिगत शैक्षिक योजना)री के बाद उचित शैक्षिक प्लेसमेंट सुनिश्चित करना।

(य) होम स्कूलिंग का प्रावधान -:

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आसानी से शैक्षिक सुविधाओं का आनंद ले सकें। निम्नलिखित कुछ प्रावधान हैं जो इस दस्तावेज़ में दिए गए हैं

- ❖ गंभीर विकलांगता वाले बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए होम स्कूलिंग आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- ❖ होम स्कूलिंग आधारित शिक्षा उन्हें एनआईओएस)NIOS) की सहायता से स्कूली शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाती है।
- ❖ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु कार्यक्रम लागू किये जायें।
- ❖ दिव्यांगजनों के साथसाथ गैर सरकारी संगठनों के लिये संसाधन केंद्रों का सहयोग सुनिश्चित - करना चाहिए।
- ❖ समावेशी शिक्षा की योजना में स्थानीय संसाधन केंद्रों और एनजीओ)NGOs) को शामिल किया जाना चाहिए।

- ❖ स्थानीय संसाधन केंद्रों और एनजीओ को दिव्यांगजनो की शीघ्र पहचान, जागरुकता, समुदयिक गतिशीलता व मूल्यांकन हेतु शामिल किया जाना चाहिए।

(र) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रावधान -

इस दस्तावेज़ में, एनईपी-2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

- ❖ दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
- ❖ स्कूली शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- ❖ विशेष रूप से छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश की सुविधा के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

उपसंहार -:

एनईपी का मुख्य ध्यान प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ECE) पर था, जिसमें विकलांग बच्चों को शामिल करने की प्राथमिकता दी गई। एनईपी बुनियादी स्तर से सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की वकालत करता है, "सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक बाधा मुक्त पहुंच" जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020(NEP-2020) में नवीनतम प्रावधानों में से एक है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में अंतिम बार बदली गई थी। एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने, उन्हें शिक्षित करने और संसाधन प्रदान करने के लिए योजना तैयार की गयी। एनईपी 2020 के तहत स्कूलों को दिव्यांग बच्चों को शामिल करने, आवश्यक सामग्री प्रदान करने और ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु सहायता दी जाएगी। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आवश्यक बदलाव और सुविधाओं (जैसे शौचालय, स्वच्छता,

साइकिलें और नकद हस्तांतरण) के लिए राज्यों को धन मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 बिलियन लोग 'दिव्यांग' हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। एनईपी 2020 का मिशन दिव्यांगजन के शैक्षिक विकास व समानता के अधिकार पर केंद्रित है। एनईपी के सफल कार्यान्वयन हेतु हमें अपने सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से, दिव्यांग लोगों की समस्याओं को एक अक्षम समाज द्वारा जटिल बना दिया गया है, जिसने उनकी क्षमता के बजाय उनकी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया है। दिव्यांगता समाज के लिए एक चुनौती नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उम्मीद की नई आशा दी है। यदि यह सही ढंग से लागू किया जाए तो उन्हें समाज की मुख्यधारा में आने का समान अवसर मिल सकता है।

REFRENCES

Anonymous:https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/new-education-policy-government-started-anganwadi-protocol-to-detect-and-help-disabled-children/articleshow/105592984.cms

Anonymous: https//:mhrd.gov.in

Anonymous: "Disability and India's New Education Policy (NEP) 2020." (n.d.). Wecapable.com. Retrieved from https://wecapable.com/disability-new-education-policy-nep-2020/

Anonymous: " Divyangjan Empowerment" ngvp.org.in. Retrieved from https://ngbv.ac.in/main page.php? page Title= Divyangjan%20Empoewrment&pageURL=pagesDetails&pageID=108

Kumar, D., & Singh, M. (2022). India's New Education Policy (NEP) 2020: Catering for Children with Disabilities. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*.

Parida, A., & Mohapatra, P. K. Inclusive education: A movement for equalization of educational opportunities

Solanki, R. New Education Policy 2020 and Disabilities. *DISCUSSANT*